"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2002—आश्विन 25, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 9 अक्टूबर, 2002 (आश्विन 17, 1924)

अधिसूचना

क्रमांक 10701/विधान/2002.—राज्यपाल का निम्नलिखित आदेश दिनांक 5 अक्टूबर, 2002 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है—

"भारत के संविधान के अनुच्छेद-174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं दिनेश नंदन सहाय, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, एतद्द्वारा विधान सभा के छठवें सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से करता हूं.

रायपुर,
दिनांक 5 अक्टूबर, 2002

दिनेश नंदन सहाय
राज्यपाल, छत्तीसगढ़"

हस्ता/-
भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.